प्रेस नोट

दिनांक 15.01.2026

थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग की धारा- 64(1)/62/351(3)/61(2) बी0एन0एस0, धारा 67A आई0टी0 एक्ट, 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3/5(1) विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, का वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 15.01.2026 को वादी द्वारा थाना सुमेरपुर पर उपस्थित होकर दी गई तहरीर के माध्यम से बताया गया कि अभियुक्त अबान खान पुत्र मौलाना खान, निवासी कमलेश तिराहा, थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को जबरन अपने प्रभाव में लेकर नाम व पहचान छिपाते हुए पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए गए तथा अश्लील वीडियो बना लिया गया। अभियुक्त द्वारा उक्त अश्लील वीडियो के माध्यम से पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगा। पीड़िता द्वारा धर्म परिवर्तन से इंकार किए जाने पर अभियुक्त उपरोक्त अबान खान द्वारा उक्त अश्लील वीडियो को इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त व उसके पिता मौलाना खान वादी एवं उसके परिवार को लगातार दबाव बनाया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई।

वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सुमेरपुर द्वारा थाना स्थानीय पर धारा 64(1)/62/351(3)/61(2) बी0एन0एस0, धारा 67A आई0टी0 एक्ट, 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3/5(1) विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 बनाम अभियुक्तगण 1.अबान खान पुत्र मौलाना खान 2. मौलाना खान पुत्र अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर द्वारा टीम गठित कर घटना के सफल व शीघ्र अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे, कि इसी क्रम में अभियुक्त अबान खान को देवगांव रोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के द्वारा उपयोग में लाया गया मोबाइल फोन के सम्बन्ध में पूछताछ के दौरान उसने बताया कि मोबाइल फोन देवगांव रोड़ के पास जंगल में छिपा रखा है। मोबाइल फोन की बरामदगी के दौरान अभियुक्त ने पहले से ही छिपाकर रखे अवैध तमंचा व कारतूस मौके से ही झाड़ियों से निकालकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जबावी कार्यवाही में अभियुक्त अबान खान के दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को मौके पर ही अवैध तमंचा एवं कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया तथा उसे उपचार हेतु भेजा गया, पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का विवरणः-

अबान खान पुत्र मौलाना खान (उम्र करीब 20 वर्ष) निवासी कमलेश तिराहा कस्बा सुमेरपुर जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण

एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, अभियुक्त के द्वारा उपयोग में लाया गया एक अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

अनूप कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सुमेरपुर मय टीम।